क्रमांक 18094-18115 उप0 नि0 (सांख्य) दिनांक 23/05/2023

प्रेषक

महानिदेशक, पशुपालन एंव डेयरी विभाग,
हरियाणा, पंचकूला।

सेवा में,

1–7 उपनिदेशक,
सघन पशुधन विकास परियोजना,
अम्बाला, भिवानी, गुड़गांव, जीन्द, करनाल, सिरसा व कुरूक्षेत्र ।

8–22 उपनिदेशक,
पशुपालन एंव डेयरी विभाग,
पानीपत, फरीदाबाद, चरखी दादरी, हिसार, मेवात एट नूंह, कैथल, झज्जर,
फतेहाबाद, पंचकूला, यमुनानगर, नारनौल, रिवाड़ी, रोहतक,
पलवल व सोनीपत।

विषयः– सम्भावित बाढ़ से पशु स्वास्थ्य सम्बन्धी तैयारी वर्षः 2023–24.

यादीः

वर्तमान वित्त वर्ष 2023–24 में आगामी वर्षा ऋतु के दौरान सम्भव है कि राज्य में बाढ की स्थिति पशुधन के लिए हानिकारक हो सकती है, ऐसी स्थिति से बचने के लिए हमें अभी से सचेत रहकर आवश्यक उपाय करने है । अतः अपने जिले के उन क्षेत्रों का जो प्रायः बाढ़ से प्रभावित होते है, स्वयं दौरा करके स्थिति का पूर्ण निरीक्षण करें और वहॉ आवश्यक पशु स्वास्थ्य रक्षक समान अभी से जुटा लें।

1. अपने जिले में पशु स्वास्थ्य रक्षा हेतु संकामक रोगों उदाहरणतः गलघोटू, मुँहखुर, रानीखेत, शीप पोक्स, ई.टी.वी. इत्यादि के टीके लगाकर अपने ईलाके के पशु–पक्षियों को इन रोगों से सुरक्षित कर लें। यह कार्य आप विशेष अभियान के रूप में शुरू कर दें, ताकि वर्षा ऋतु से पहले ही यह कार्य पूर्ण हो सके।
2. जिले के विभिन्न क्षेत्रों के लिए पशु स्वास्थ्य रक्षा हेतु विशेष पार्टियों को निश्चित कार्य सौंप दें ताकि बीमारियों के रोकथाम में टीके लगाने का कार्य समय से पूर्व ही पूरा हो सके । इन पार्टियों व उनके इंचार्ज अधिकारी व कर्मचारियों की सूची तथा उनको दिए गए कार्य क्षेत्र की सूचना तुरन्त निदेशालय में भेजें। गठित की गई पार्टियों की संख्या, स्थान मुख्यालय में तीन दिन में हर हालात में उपलब्ध करायें ताकि सूचना प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, राजस्व विभाग को समय पर उपलब्ध कराई जा सके ।
3. जिले के प्रत्येक पशु चिकित्सालय तथा औषधालयों के सम्बन्ध में आप यह सुनिश्चित करें कि वहां दवाईयां तथा वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, यदि किसी कारणवश जरूरी दवाइयों व वैक्सीन का स्टाक आवश्यक मात्रा में उपलब्ध न हो तो इसका प्रबन्ध शीघ्र करें। इस बारे रिर्पोट मुख्यालय में भी भेजें । इसके अतिरिक्त सम्भावित बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में कुछ ऐसे स्थान भी सुनिश्चित कर लें, जहां पशुओं के विभिन्न रोगों के उपचार हेतु दवाईयों व

टीकों का प्रर्याप्त मात्रा में स्टाक रखा जा सके ताकि बाढ़ के समय जरूरत पड़ने पर दवाईयों/टीकों इत्यादि के लाने व ले जाने में कोई बाधा न पड़े ।

4. बाढ़ के समय बाढ़ से प्रभावित पशुओं को तुरन्त आवश्यक चिकित्सा सुविधा मिलनी चाहिये। विशेष रुप से नियुक्त की गई पार्टियां भी प्रयत्न करेंगी कि मौके पर ही पीड़ित पशुओं को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा सके ।

5. विभिन्न पशु रोग टीकों की मांग आदि आपने अवश्य ही संस्थान निदेशक, पशु चिकित्सा टीका संस्था हिसार को भेज दी होगी। यदि नही भेजी है, तो तुरन्त भेजें और उनसे प्राप्त करने बारे कार्यवाही करके टीकाकरण का कार्य समय पर पूरा करें।

6. पशुओं को कृमि रोगों से सुरक्षित रखने हेतू पशुओं को कृमिनाशक ईलाज देना भी जरूरी है । आप द्वारा बनाई पार्टियां प्रत्येक गांव में पशुओं को कृमि रोगों का ईलाज देना शुरू कर दें।

7. यदि कहीं सर्रा अथवा थिलिरियेसिस रोग बारे रिपोर्ट प्राप्त हो, उस पर तुरन्त कार्यवाही कर पशु का शीघ्र ईलाज करने के उपाय किये जायें और साथ ही खून व सीरम इत्यादि के परीक्षण भी नजदीक की पशु प्रयोगशाला में करवाए जायें ताकि रोग का ठीक से निदान हो सके ।

8. आप अपने जिले के उपायुक्त तथा राजस्व अधिकारियों से तालमेल कर यह पहले ही सुनिश्चित कर लें कि बाढ़ की स्थिति तथा चेतावनी के समय बाढ़ से बचाव हेतु पशुओं/कुक्कुट इत्यादि को किस स्थान पर ले जायेंगे । इन स्थानों की सूचना इलाके के पशुपालकों व पशु चिकित्सकों को भी दे दी जाए ।

9. कुछ पशु चिकित्सालयों/पशु औषधालयों से जो कि बाढ़ की चपेट में आते हैं और वहां न केवल बाढ़ से दवाईयों व औजार आदि खराब होते हैं, बल्कि ईलाज करने में भी बाधा आती है। अतः बाढ की चेतावनी मिलते ही चिकित्सालय, औषधालय पहले से ही सुनिश्चित सुरक्षित स्थानों पर लें जायें ।

10. यदि बाढ़ के कारण आप को कोई स्थानीय समस्या हो तो आप अपने जिले के उपायुक्त तथा अन्य अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित कर शीघ्र समाधान करायें ।

11. गांव के जोहडों/तालाबों तथा पशुओं के पानी पीने के अन्य स्थानों का विभिन्न प्रकार के कीटाणुओं से सुरक्षित रखने हेतु वहां के अधिकारियों तथा पंचाचत से मिलकर पशुओं के लिए पीने के पानी को कीटाणु रहित करने के उपाय अवश्य करवायें। पशुपालकों को इस बात की पूर्ण जानकारी दी जानी चाहिए कि उनके पशु गन्दे जोहडों में पडें पानी को न पियें । इसी प्रकार पशु चारागाहों का भी ध्यान रखा जाए, क्योंकि गन्दे पानी और चारे के प्रयोग से पशुओं में कृमि सम्बन्धित रोग व अन्य कीटाणुओं से बीमारी फैलती है।

12. आप अपने कार्यालय में एक बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित कर लें, जहां से हर समय बाढ़ सम्बन्धी सूचना का पता चल सके। नियंत्रण कक्ष में टैलीफोन की सूविधा हो ताकि वहां पर ड्यूटि पर उपस्थित कर्मचारी बाढ़ की स्थिति की सूचना मुख्यालय को तुरन्त भेज सकें। इन बाढ़ नियंत्रण कक्ष के टैलीफोन न0 की सूचना मुख्यालय को भेजी जाए। यह बाढ़ नियत्रण कक्ष 15.05.2023 से सभी जिलों में काम शुरू कर दें ।

13. बाढ़ के प्रकोप से पीड़ित पशुओं की रक्षा करना केवल हमारी ड्यूटि ही नही बल्कि मानवता के नाते यह हमारा कर्त्तव्य भी है। अतः पशुओं को बाढ़ से विभिन्न बीमारियों से सुरक्षित रखने के हर सम्भव प्रयत्न किए जायें। आप अपने क्षेत्र में प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी को अभी से जागृत करें तथा उनके कर्त्तव्य बारे स्तर्क रहने के आदेश दें ।

14. आपके जिले में जितनी भी जीप तथा गाड़ियां है, उनको ठीक करवाकर चालू हालत में रखें ताकि फल्ड़ कार्य में बाधा न पड़े। इस के बारे भी रिपोर्ट दो प्रतियों में भेजें कि आप के पास कुल कितनी गाड़ियां हैं और उन में से कितनी गाडियां चालू हालत में हैं ।

15. जिले में किए जा रहे पशु स्वास्थ्य कार्यों की पाक्षिक रिपोर्ट 15.05.2023 से आरम्भ करके प्रति माह 1 से 15 तथा 16 से 30/31 तारीख तक नियमित रूप से एक सप्ताह के अन्दर–2 निर्धारित (सलंग्न) प्रपत्र में भेजी जाये, ताकि सूचना सरकार को भेजी जा सके । जिले में पशु स्वास्थ्य रक्षा के कार्य का पूर्ण उत्तरदायित्व आप सभी पर है । अतः आशा है कि आप उपरोक्त सभी बिन्दुओं पर निजी ध्यान देंगे और राज्य में पशुधन की हर प्रकार की हानियों से सुरक्षित रखने हेतु प्रयत्न करेंगे।

इस बारे विशेष ध्यान दिया जाए कि उपरोक्त रिपोर्ट भेजते समय इस पत्र के कमांक व दिनांक इत्यादि का विवरण अवश्य भेजें ताकि आगामी रिपोर्ट सम्बन्धित शाखा को ठीक समय पर प्राप्त हो सके ।

इसे प्राथमिकता दी जाये और इसकी पावती भेजें ।

क्रेडिट योजना अधिकारी,
कृतेः महानिदेशक, पशुपालन एवं ड़ेयरी विभाग,
हरियाणा, पंचकूला । 16/5/23

पृ0कमांक 18116-195 उप0 नि0 (सांख्य) दिनांक 23/05/2023

इसकी एक प्रति :–

1. मुख्य अधीक्षक, राजकीय पशुधन फार्म, हिसार ।
2. उप–निदेशक, राज्य पशु प्रजनन परियोजना, हिसार ।
3. संस्थान निदेशक, हरियाणा पशु चिकित्सा टीका संस्था, हिसार ।
4. सभी उप–मण्ड़ल अधिकारी, पशुपालन एंव डेयरी विभाग, हरियाणा राज्य में ।
5. सूकर विकास अधिकारी, अम्बाला शहर ।
6. सहायक कुक्कट विकास अधिकारी, अम्बाला शहर ।
7. निदेशालय पर स्थित सभी अधिकारीगण ।

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

क्रेडिट योजना अधिकारी,
कृतेः महानिदेशक, पशुपालन एवं ड़ेयरी विभाग,
हरियाणा, पंचकूला । 16/5/23

पृ0कमांक 18196-18217 उप0 नि0 (सांख्य) दिनांक 23/05/2023

इसकी एक प्रति सभी उपायुक्त जिला मुख्यालय, हरियाणा राज्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित है ।

क्रेडिट योजना अधिकारी,
कृतेः महानिदेशक, पशुपालन एवं ड़ेयरी विभाग,
हरियाणा, पंचकूला । 16/5/23

पृ0कमांक 18218-19 उप0 नि0 (सांख्य) दिनांक 23/05/2023

इसकी एक प्रति :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, पशुपालन एवं ड़ेयरी विभाग, चण्डीगढ़ ।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, राजस्व विभाग, चण्ड़ीगढ़ को सूचनार्थ प्रेषित है।

क्रेडिट योजना अधिकारी,
कृतेः महानिदेशक, पशुपालन एवं ड़ेयरी विभाग,
हरियाणा, पंचकूला । 16/5/23

प्रपत्र

पशुपालन एवं डेरी विभाग, हरियाणा पशु रक्षा सम्बन्धित किए गए कार्य की पाक्षिक रिपोर्ट

दिनांक ———————— से ———————— तक।

1. पशु स्वास्थ्य रक्षा कार्य हेतु बनाई गई विशेष पार्टियों की संख्या ।

	पाक्षिक कार्य	कुल योग
	1.2023 से	01.04.2023 से

2. पशु स्वास्थ्य कैम्प जो लगाए गए
3. बचाव हेतु लगाए गए टीकों की संख्या ————————————————
   1. गलघोटू ————————————————
   2. मुहखुर ————————————————
   3. ई. टी. वी. ————————————————
   4. शीप पोक्स ————————————————
   5. रानीखेत ————————————————
   6. फाऊल पोक्स ————————————————
   7. स्वाईन फीवर ————————————————
   8. अन्य ————————————————
   9. कुल जोड़ ————————————————
4. कृमि रोग ईलाज किए गए पशुओं की सं0
5. अन्य ईलाज किए गए पशुओं की सं0
6. बाढ़ से प्रभावित गांवों की सं0
7. बाढ़ से प्रभावित पशुओं की सं0
8. आऊट ब्रेक यदि कोई हो
9. रोग ग्रस्त गांवों की संख्या
10. बीमारी का नाम
11. रोग ग्रस्त पशुओं की संख्या
12. मृतक पशुओं की संख्या
13. अन्य कारणों से मृतक पशुओं की संख्या
14. अन्य सूचना यदि कोई हो।